



Neutral Citation No. – 2026:AHC:4562

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5196 वर्ष 2025

कमलेश मिश्रा

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	: शिव शंकर प्रसाद गुप्ता, सुरेशकुमार गुप्ता
प्रतिवादी के वकील	: सीएससी, दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौर की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 26.04.1995 को राजस्व पुनरीक्षण संख्या 46/1994-95 (गंधर्व सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित आदेश को ग्राम बाम्हौरी पत्थर (बालाबेहाटा), तहसील और जिला ललितपुर में स्थित 2.50 एकड़ क्षेत्र (अर्थात् खाता संख्या 82 और खसरा/गटा संख्या 65/9, क्षेत्रफल 0.8090 हेक्टेयर) की अराजी संख्या 65 और 66 के राजस्व अभिलेखों से हटाने का निर्देश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी वकील को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

4. इस न्यायालय के दिनांक 15.12.2025 के आदेश के अनुपालन में, ललितपुर के तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.1.2026 को भेजा गया निर्देश अभिलेख में लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. विद्वान स्थायी वकील ने निर्देश के आधार पर यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के लिए इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिट याचिका गलत आधारों पर दायर की गई है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. लंबी बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि इस रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"